an>

Title: Need to include 'Lodhi' Caste in the list of other backward classes in Maharashtra.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आज आदिवासी दिन पर देश और विदेश के सभी आदिवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस माध्यम से आज ओबीसी का भी एक विÂषय यहां रखता हूं। डा. बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340, 341 और 342 में पिछड़ी जातियों के लिए, जो शोÂिषत, पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय व्यवस्था बनाई है। उसी माध्यम से मैं ओबीसी का एक विÂषय यहां पर रखता हूं।

देश के विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़े पैमाने पर लोधी, लोधा व लोध जाति की उपस्थिति केंद्रीय पिछड़ा वर्ग में है। जहां इस जाति को अन्य पिछड़ी जाति के रूप में दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन देश के महाराÂष्ट्र राज्य की इस जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है। महाराÂष्ट्र राज्य में सन् 2004 में राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया गया था। इस जाति के वास्ते सांसदों एवं लोधी जाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी केन्द्रीय स्तर पर इसका अनेक बार प्रयास किया है। महाराÂष्ट्र राज्य के भंडारा-गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, गड़चिरोली, अकोला, यवतमाल, वाशिम, अमरावती, जलगांव, नांदेड, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई, ठाणे सहित अनेक जिलों में यह जाति बड़ी तादाद में उपस्थित है एवं महाराÂष्ट्र राज्य में लोधी, लोधा, लोध जाति के अधिसंख्य लोग सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि लोधी जाति को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में सूचीबद्ध करे ताकि देश में पिछड़ी जाति में अधिसूचित इस जाति के महाराÂष्ट्र राज्य में रहने वाले लोगों को समान अधिकार के तहत अपना अधिकार मिल सके। निश्चित रूप से ओबीसी जाति के लिए ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पढ़ने के बाद और बोलने की आवश्यकता नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति पूदान की जाती है।

12.39 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS-Contd....